तहसीलदार बनाम ऽ शरवीर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	क्र.सं. 32/2025
	दिनांक
06-05-23	पत्रावली पेश हुई। वाद पत्र

अपीलार्थी / प्रतिवादीगण संख्या-1 व 2 की ओर से श्री विष्णु सिंह वकील एड. के उपस्थित होकर व कार्यालय मय प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि वे वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 513 रकबा 0.32 हैक्टेयर तक अधीलाल के रिकार्ड काश्तकार हैं तथा उन्होंने अपनी आवश्यकता के वास्ते काफी भूमि को समतल व विकसित किया है तथा वर्तमान में उस भूमि का मालिक नहीं बदला है तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि की सक्षम अधिकारी से विधिवत अनुमति लेकर वहीं से अफीम उपजाया करते हैं तथा इस हेतु उन्होंने नारकोटिक्स अधीलाल से आवेदन भी पेश कर वार्षिक शुल्क रूपए 10,200/- भी जमा करवाया है। लेकिन प्रकरण में माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद उक्त संपरिवर्तन की कार्यवाही नहीं की गई है तथा याचिका में [illegible] स्थगन आदेश की अवहेलना हेतु [illegible] के समक्ष कहते थकि वे वादग्रस्त भूमि के विधिवत संपरिवर्तन की कार्यवाही करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:01:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार बनाम दशरथ सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	निगरानी संख्या - 32/2025	

चली। प्र. पक्ष एवं अन्य पक्षकारगण को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रतिवादीगण के कब्जाधीन भूमि कृषि से अकृषि उपयोग हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत रखि गया है व्यवहारिक अधिकार की प्रेक्षा किया जा चुका है जो व्यवहारिक अधिकार के साथ विचारणीय है आवेदन तथा संचिका शपथ की प्रतियां भी प्रतिवादीगण पक्ष प्रेषित की गई है चूंकि व्यवहारिक का उद्देश्य यही है कि कोई व्यक्ति भूमि का विधिवत संपरिवर्तन कराकर ही कृषि से अकृषि उपयोग करें। ऐसी स्थिति में प्रकरण की आगे चलाए रखना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है अतः कारण बताओ सूचना पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था किया जाता है कि प्रतिवादीगण तत्काल कृषि भूमि के संपरिवर्तन की संपूर्ण कार्यवाही की तथा संपरिवर्तन आदेश की एक-एक प्रति अविलंब तहसीलदार सीकरपुर के यहां पेश करे। अन्यथा की स्थिति में तहसीलदार सीकरपुर प्रतिवादी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही [illegible] देंगे। पत्रावली को पत्र व्यवहारिक की तरफ कारण बताओ सूचना पत्र हेतु।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:01:42 IST
Reason: SelfAttested